समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 13-06-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (**Monday Meeting**) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त।
2.	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा	अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त।
3.	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में
4.	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
5.	कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6.	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदा0 का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	राजस्व (अपर समाहर्त्ता /प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व)	ऑपरेशन दखल देहानी :- जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेशित किया गया कि ऑपरेशन दखल देहानी का प्रतिदिन समीक्षा अपने स्तर से करें तथा वांछित प्रतिवेदन वाट्सएप पर भेजने हेतु सभी संबंधितों को सूचित करें। अतिक्रमण वाद :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण वाद से संबंधित आदेश पारित किया गया था, जिसके आलोक में अतिक्रमण वाद के निष्पादन हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को निदेशित किया गया था। बैठक में कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज की खोज की गयी, तो पता चला कि वे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। बताया गया कि कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित कर विभाग को भेजने का निदेश जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को दिया गया। इसी प्रकार कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि शंकरपुर, घैलाढ़, सिंहेश्वर आदि में अतिक्रमण हटाने संबंधी

		कार्य किया गया है। निदेश दिया गया कि जैसे ही अतिक्रमण हटाया जाता है, उसकी विडियोग्राफी कराकर तुरंत उसकी एक प्रति संबंधित थानाध्यक्ष को उपलब्ध करावें। यह भी बताया गया कि सिंहेश्वर, घैलाढ़, कुमारखंड और शंकरपुर अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि जहां-जहां अतिक्रमण वाद की समस्या है, उस जगह भ्रमण करें तथा नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही जहां से प्राप्त नहीं होता है, संबंधित अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा को दिया गया। अभियान बसेरा :- प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेशित किया गया कि अभियान बसेरा के तहत् नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कृषि गणना :- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि कृषि गणना की क्या स्थिति है, तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। बताया गया कि दिनांक 16-06-2016 तक अंतिम तिथि निर्धारित है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधितों को पत्राचार करें एवं कृषि टास्क फोर्स की बैठक में वांछित प्रपत्र लेकर आने हेतु निदेशित करें। भू-दान :- निदेशित किया गया कि जितने भी भू-दान के मामलें है, का जांच कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। रिटर्न :- बताया गया कि अभी तक कुछ अंचलों से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब संबंधित अंचलों से प्राप्त करें एवं अनुपालन से अवगत करावें। पोखर की बंदोवस्ती /नापी :- समीक्षा के क्रम में मत्स्य पर्यवेक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुल 28 पोखरों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें 26 पोखर /तालाब की नापी हो गया है, जबकि मुरलीगंज अन्तर्गत 02 का नापी कराना शेष है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेशित किया गया कि दूसरा रोस्टर अविलम्ब तैयार कर संबंधित मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करावें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। मत्स्य पर्यवेक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कॉलेज चौक, मधेपुरा के समीप सरकारी पोखर है, जहां अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेशित किया गया कि संबंधित अंचलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। राजस्व कर्मचारी :- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि राजस्व कर्मचारी के स्थानांतरण हेतु नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।
2.	(आपदा) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा, मधेपुरा	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि संबंधित अंचलों को उपलब्ध करायी गयी आपदा की राशि का समायोजन /डी०सी० विपत्र का समायोजन कर लिया गया है अथवा नहीं, तो इस संबंध में बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है। निदेशित किया गया कि आज ही मुरलीगंज जाकर वस्तुस्थिति की जांच करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।
3.	(डी०सी० बिल) कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि डी०सी० बिल का शत-प्रतिशत मिलान हुआ अथवा नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम के अनुसार अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी का डी०सी० बिल

		मिलान करने का समय निर्धारित था, किन्तु कृषि विभाग के किसी भी कर्मी के नहीं आने के कारण उक्त मिलान नहीं हो सका। इसी प्रकार मत्स्य, गर्वनमेन्ट मेडिकल कॉलेज, अनुमण्डल पदा0, मधेपुरा का भी कोई कर्मी समय पर नहीं आया, जिसके कारण मिलान करने में समस्या उत्पन्न हुई। कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिस कार्यालय से कर्मी नहीं आते हैं, तो उन कार्यालय का शत–प्रतिशत बिल को रोक दिया जाए तथा तब तक पास नहीं किया जाए, जब तक संबंधित कार्यालय द्वारा डी0सी0 विपत्र का समायोजन नहीं करा लिया जाता है। समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नजारत का डी0सी0 विपत्र भी लंबित है। जिला नजारत उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि ससमय डी0सी0 विपत्र का समायोजन कर लिया जाए। कोषागार पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि कार्यक्रमानुसार जिस तिथि को जिस विभाग की समीक्षा हो, उसके एक दिन पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचित कर दें तथा बिल नम्बर आदि का पूर्ण विवरणी की जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही जिन–जिन कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि को मिलान नहीं किया गया अथवा शेष है, उनके मिलान हेतु पुनः तिथि निर्धारित कर पत्र निर्गत करने हेतु कार्रवाई करने का निदेश कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।
4.	(जीविका) डी0पी0एम0, जीविका	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि डी0पी0एम0 जीविका बैठक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये तथा उनके स्थान पर अन्य कर्मी बैठक में उपस्थित हुए। बताया गया कि डी0पी0एम0 अपने पद से त्याग पत्र दे दिये हैं। संबंधित कर्मी से पृच्छा की गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि एस0एच0जी0– 14,415, एकाउन्ट ऑपनिंग– 11633 तथा लिंकेज 7499 हुआ है। विगत तीन माह में 200 अधिक वृद्धि हुआ है। बताया गया कि आगामी माह में 1000 एस0बी0आई0 तथा 1000 यू0जी0बी0 में डॉक्यूमेन्ट जमा किया जा रहा है। माह जुलाई, 2016 तक अधिक बढ़ जाने की संभावना है। जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि जोरगामा, बिहारीगंज, मुरलीगंज, कुमारखंड एवं अन्य संबंधित प्रखण्ड में संथाल जाति के लोग हैं, वहा सेल्फ ऑफ ग्रुप बनाना है तथा शत–प्रतिशत एस0एच0जी0 बनाना है। निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर द्रुत गति से कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।
5.	कल्याण (जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा)	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि आगामी बैठक में वांछित प्रगति प्रतिवेदन के साथ ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
6.	(शिक्षा) जिला शिक्षा पदा0	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि छात्रवृति वितरण हेतु अभी तक विभाग द्वारा निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृति वितरण हेतु निदेश प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करें। शिक्षकों का वेतन :– समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा द्वारा बताया गया कि नियमित शिक्षकों का माह–मई, 2016 तक वेतन भुगतान हो गया है, जबकि नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित है। निदेश